

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर(राज0)।
लूणी हॉस्टल

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी लूणी हॉस्टल
2.	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – हॉस्टल से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण। (ख) संचित निरीक्षक(प्रशासन) – हॉस्टल से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण। (ग) हैड कानि. – हॉस्टल प्रभारी के रूप में हॉस्टल एवं मैस रख-रखाव सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन। (घ) अन्य संकाय सदस्य-08 हॉस्टल में निवास करने वाले प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की भोजन की व्यवस्था एवं मैस के रख-रखाव का कार्य।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	हॉस्टल प्रभारी द्वारा संचित निरीक्षक(प्रशासन) एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों के अनुसार निर्णय किये जाने पर कार्य संपादित किया जाता है।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	पुलिस मुख्यालय एवं आर.पी.ए. कार्यालय द्वारा जारी आदेशों, परिपत्रों एवं समस्त निर्देशों के अनुरूप कार्य पूर्ण करवाना एवं लूणी हॉस्टल के दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आर.पी.ए., एवं समुचित माध्यम, द्वारा, जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन। ➤ आउटडोर प्रशिक्षण सकांय हेतु बनास हॉस्टल के दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन। ➤ समय-समय पर जारी अन्य विनियम।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● कैश बुक ● स्टॉक रजिस्टर ● कटिंग रजिस्टर ● डाइंट रजिस्टर ● सम्पत्ति रजिस्टर ● इन्डेन्ट बुक ● प्राप्ति रसीद ● बिल फाईल ● पत्राचार पत्रावली

		<ul style="list-style-type: none"> ● निरीक्षण बुक ● एस.ओ.पी. के सम्बन्ध में पत्रावली।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियों अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन नं० 0141-2301878 पीबीएक्स नं० -506.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की बेवसाईट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आर.पी.ए. प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।